प्रेषक,
प्रशान्त निदेशक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा मे।
1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, एनएनएसएम, उत्तर प्रदेश, शासन।
2. गृह चिकित्सा अधिकारी,
सेवा मे, उत्तर प्रदेश।

2580
21

दिनांक 06.2017

विषय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "प्राधान्यश्री सुरक्षित मातृत्व अभियान" के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में धन्यवादी का आयातम के संबंधित दिशा-निदेश।

महोदय / महोदया,
आप अवगत हैं कि भारत सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना "प्राधान्यश्री सुरक्षित मातृत्व अभियान" का प्रदेश में आरम्भ किया जा रहा है। सेवा में सिद्ध किए जा रहे संबंधित दिशा-निदेश की व्यक्ति से अन्य प्राधिकृत मंत्री/धर्मपाल जिनमें प्रमुख सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, एनएनएसएम, उत्तर प्रदेश, शासन।

प्रदेश के सभी 75 जनावरों में यह अभियान समस्त लोगों के स्वास्थ्य का एक अहम अंश है। इस अभियान के अन्तर्गत प्रेषक महीनों का 09 तारीख कॉलर को समस्त महिलाओं जिनकी गर्भधारण में निजी प्रशिक्षण का अभ्यास करने के लिए एक बार चिकित्सक के द्वारा इस अभियान में लीकिस जोड़ने देने वाले। प्राधान्यश्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के उद्देश्य का महत्वपूर्ण है। इस अभियान का संचालन हेतु धन्यवादी का आयातम के संबंधित दिशा-निदेश की व्यक्ति से अन्य प्राधिकृत मंत्री/धर्मपाल जिनमें प्रमुख सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, एनएनएसएम, उत्तर प्रदेश, शासन।

1. जिला प्रशासन केंद्र के अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, एनएनएसएम, उत्तर प्रदेश, शासन।
2. जिला प्रशासन के अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, एनएनएसएम, उत्तर प्रदेश, शासन।
3. जिला प्रशासन के अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, एनएनएसएम, उत्तर प्रदेश, शासन।
4. जिला प्रशासन के अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, एनएनएसएम, उत्तर प्रदेश, शासन।
5. जिला प्रशासन के अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, एनएनएसएम, उत्तर प्रदेश, शासन।
6. जिला प्रशासन के अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, एनएनएसएम, उत्तर प्रदेश, शासन।
7. एमॉशनल एनर्गी ऑस्ट्रेलिया के अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, एनएनएसएम, उत्तर प्रदेश, शासन।

इस अभियान का संचालन हेतु धन्यवादी का आयातम के संबंधित दिशा-निदेश की व्यक्ति से अन्य प्राधिकृत मंत्री/धर्मपाल जिनमें प्रमुख सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, एनएनएसएम, उत्तर प्रदेश, शासन।

free diagnostic tests का उपयोग करने के लिए बाहर से प्राप्त किए जा सकते हैं।
8. गर्मिता महिलाओं एमसीटीपी का कार्य ब्राह्मणा एवं एस.एन.सी.पी रजिस्टर पर अंकन भी किया जायेगा। जोखिम बुझता गर्निटा महिलाओं को चिह्नित कर उनके मात्र एवं शिशु सुरक्षा कार्य पर लात रंग की बिब्यु/एड्यासिपी मोडल लगायी जायें। एल.आर.पी.बी. महिलाओं का उनके प्रयास की कार्यवाहणा सहित रिकॉर्ड स्थाप्त इकाई पर सुरक्षित रखा जायेगा।

9. स्वास्थ्य इकाईयों पर उपलब्ध एस.एन.सी.पी रजिस्टर में अभिव्यक्ति के दौरान संबंधित लेने आगे गर्मिता महिलाओं का विवरण रिकॉर्ड रखते हुए पीएनएसएमएगौर पोर्टल पर सुचारू का अपलोड करने के लिए जनपरिवार नोडल अधिकारी को उसी दिन रिपोर्ट का प्रेषण करना सुनिश्चित करें। प्रत्येक दशा में जनपद की संकल्पित रिपोर्ट मार्ग की 15 तारीख तक पीएनएसएमएगौर पोर्टल पर अवश्य अपलोड कर दी जायेगी।

10. प्राध्यापक महिलाओं नुस्खित मातृत्व अभिव्यक्ति प्रवेश पर उमड़ने वाली भीड़ के दुर्भिक्षित गर्मिता महिलाओं की जीवन, नालाओं के ऊपर खुदाई और जनसाध्यता के लिए अधिक कार्यक्रम व उपरांत व्यापार बैठने के स्थान की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। चिकित्सकों में चिकित्सकों तथा कार्यकर्ताओं तथा स्वास्थ्य इकाईयों से चिकित्सकों से और अन्य मानव संसाधन श्रृंखला कर पीएनएसएमएगौर दिवस पर सेवा प्रदान की जायेगी।

11. प्राध्यापक महिलाओं पुनःपरिवर्तित मातृत्व अभिव्यक्ति को मुख्यालय में लाने के लिए प्रत्येक जनपद में एक मंडल प्रभावाधीन प्राध्यापक महिलाओं सुरक्षित मातृत्व ज्ञानिक बनाया जाता प्रत्यावर्तित है। यह मंडल कर्मिक प्राध्यापक महिलाओं सुरक्षित मातृत्व अभिव्यक्ति में परिवर्तित कर्मनिवारण की तरह होगा जिसके कारण सेंटर के रूप में शांतिस्थापन करने हेतु विकसित किया जायेगा।

विशेष व्यवस्था एवं आवश्यक निर्देश—

1—प्राध्यापक महिलाओं सुरक्षित मातृत्व अभिव्यक्ति के यापक प्रशासन प्रकाश की व्यवस्था—

प्राध्यापक महिलाओं सुरक्षित मातृत्व अभिव्यक्ति के यापक प्रशासन प्रकाश की आवश्यकता को पुरस्कृत जनपद स्तर पर 01 मेडिकल विज्ञान हेतु, रू. 5000/—/ की दर से 04 बैसीसाइकल समीक्षा बैठकों हेतु रू. 5000/—/ की दर से तथा चिनित जनपद व लोक स्वास्थ्य स्वास्थ्य इकाईयों (पांट में प्रशिक्षित संस्था) पर बैसीसाइकल बैठकों हेतु रू. 1000/—/ की दर से, वैशिष्ट्य-राइटिंग हेतु रू. 1000/—/ की दर से, प्रशासन-प्रशासन हेतु 03 मेडिकल श्रेणी रू. 1000/—/ तथा साबित करने के लिए दिये जाने वाले इंस्टर्स हेतु रू. 2000/- प्रमुख कहार की व्यवस्था है। प्रशासन प्रकाश समाप्त पर पीएनएसएमएगौर लोगो का प्रयोग अवश्य किया जायेगा।

बेडकारों में IMA, ROTARY, FOGSI, LIONS तथा अन्य NGOs के विषयों एवं लेखाउन प्राध्यापकों को सुझाव एवं साहित्य हेतु आवश्यक किया जागी। जनपद स्तर लेखाउन पीएनएसएमएगौर समिति के सूचनाओं पर अभाव तथा शिकारियों का निराशारोगी किया जायेगा। जनपद पर पीएनएसएमएगौर के दौरान श्रेणी लेखाउन देने वाले प्रशासन तथा राजकीय सेवा की चिकित्सकों को समन्वयात्मक निर्देश किया जायेगा। बेठकों में इसे निराशारोगी धारणामत्र से प्रश्न प्रश्न एवं इसे विनिर्देश प्रस्ताव भी किया जा सकता है। बेठों के कार्यक्रम रिकॉर्ड हेतु सुरक्षित रखें जायें। पीएसएमएगौर आवश्यक प्रकाश पर पीएनएसएमएगौर नोटबुक इस हेतु उत्पादक होगे।

2—प्राध्यापक महिलाओं सुरक्षित मातृत्व अभिव्यक्ति के योगदान देने वाले प्रशासन चिकित्सकों हेतु मोबिलिटी—

पीएनएसएमएगौर के दौरान पोर्टल पर पंजीकृत, स्वयं सेवी प्रशासन चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य इकाईयों पर योगदान देने हेतु रू. 1000/— प्रमुख पीएनएसएमएगौर विभा मोबिलिटी की व्यवस्था का गठी है। प्रत्येक चिकित्सक को आयावासन हेतु उनके साथ का प्रयोग करना होगा।
3-प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृभूमि अभियान दिवस पर आयी गर्भवती महिलाओं हेतु जल-पान की व्यवस्था

पीएमएसएमएसए दिवस पर राजकीय स्वास्थ्य इकाइयों में अपना चेक-अप करने आने वाली गर्भवती महिलाओं को 6-8 घंटे अस्पताल में व्यवहार करने पड़ते हैं। इसको ध्यान में रखकर गर्भवती महिलाओं के लिए पेटीजल एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिकता किया गया है। प्रधानमंत्री की जनपद व ब्लॉक स्तरीय इकाइयों (फाट में प्रदर्शित संख्या) हेतु एकमुखी सं० 2,000/-प्रति इकाई प्रति माह पीएमएसएसएसए अभियान की दर से ध्यानित की व्यवस्था है। जलपान में प्रशासनों को दी जा रही जेपीएसएससे टाइटल/उद्धरण भारतीय एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

4-गर्भवती महिलाओं हेतु पीपीएसपी० मोड से अल्टरस्यस्टेज की जांच की व्यवस्था-

लतांगपाषाण में गर्भवती स्वास्थ्य इकाइयों पर अल्टरस्यस्टेज व्यवस्था न होने के कारण गर्भवती महिलाओं को जनपद स्तरीय इकाइयों पर संशोधन करना पड़ता है। इस कारण काफी अभिभावक संख्या में गर्भवती महिलाओं अल्टरस्यस्टेज सुविधा में वृद्धि हेतु जा रहा है। उपयुक्त हेतु विशेष अल्टरस्यस्टेज वर्ष 2017-18 में गर्भवती महिलाओं को पीएमएसएसएसए एवं अन्य दिवसों पर वेबसाइट को के ऊपर अल्टरस्यस्टेज की सुविधा से अवगमित करने के लिए 50 चर्चानिवृत उच्च प्रति भार वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के किरदार सुविधा लंबी अल्टरस्यस्टेज की व्यवस्था नहीं है (सूची बनाने) पर गर्भवती महिलाओं हेतु पीपीएसपी० मोड से अल्टरस्यस्टेज की व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इस हेतु दिशा निर्देश पुस्तक से निर्देशित किया जा रहा है।

उपयुक्त हेतु विशेष अल्टरस्यस्टेज वर्ष 2017-18 की राष्ट्रीय कार्यनिवृत्त ने मातृ राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृभूमि अभियान हेतु भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत ऑपॅरेटोर ने कुल सं० 873.50 लाख की ध्यानित जनपदों को संलग्न की गर्भवती स्तूकिल की गई है। जिसमें से सं० 457.75000 लाख की ध्यानित जनपदों को संलग्न की गर्भवती स्तूकिल की गई है। जिसमें से सं० 457.75000 लाख की ध्यानित जनपदों को संलग्न की गर्भवती स्तूकिल की गई है। पहले धारण की आवश्यक मात्र आपको व्यवस्था करने के लिये प्राधिकृत नहीं करना, अधिक वित्तीय नियमों, शासन दास्ताओं एवं कार्यकर्ता समिति द्वारा निर्देशित प्रक्रिया का पालन करने हेतु, सभी प्रशासकीय को सीखने का उत्पादन व्यवस्था नियमानुसार किया जायेगा। उपयुक्त द्वारा प्रधानता के उपयोग में तंतु प्रकार की अनिवार्यता के लिए जनपद के मुख्य विज्ञानिकारों का उत्तरदायी होना।

भव्यी, (प्रशासनीय नियंत्रक)

(आलोचक कृपया)

निर्देशन नियंत्रक